	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 20, शुक्रवार, शाके 1931–सितम्बर 11, 2009 *Bhadra 20, Friday, Saka 1931–September 11, 2009*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2009

संख्या प. 2(24) विधि/2/2009.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्यूएशन (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2009(एक्ट नं. 19 ऑफ 2009)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 19)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई]

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 65ख का जोड़ा जाना.–राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम,

1961 (1961 का अधिनियम सं. 23), की विद्यमान धारा 65क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 65ख जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

"**65ख. फीस का प्रतिदाय.**–जहां न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे की रीतियों में से किसी रीति के प्रति निर्देश दे और वह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधीन उपबंधित रीतियों में से किसी रीति से निपट जाये तो वादी, न्यायालय से ऐसे वादपत्र के सम्बन्ध में संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 11, 2009

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2009.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2009 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT) ACT, 2009

(Act No. 19 of 2009)

[Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2009]

An

Act

further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act,1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Addition of new section 65B in Rajasthan Act No. 23 of 1961.-After the existing section 65A of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act. No. 23 of 1961), the following new section 65B shall be added, namely:-

"65B. Refund of Fee.- Where the Court refers the parties to a suit to any one of the mode of settlement of dispute referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) and the matter is settled by one of the modes provided under section 89 of the Code of Civil Procedure, the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorising him to receive back from the Collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint.".

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.

3

Government Central Press, Jaipur.